5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(32)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

PBR/ निगरानी/देवास/भू.रा./2017/4641

अभिभाषक श्री पी. डी. शर्मा
प्रस्तुत
दिनांक 10.11.2017
10.11.2017
आयुक्त ... उज्जैन

भारतसिंह पिता श्री मोड़सिंहजी, आयु 58 वर्ष,
निवासी– ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास
----- निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1 – नाथूसिंह पिता चन्दरसिंह आयु 75 वर्ष,
निवासी– ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास

2 – मध्य–प्रदेश शासन
व्दारा कलेक्टर महोदय, देवास
---रेस्पान्डेन्ट्स/अनावेदकण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व सहिता 1959 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला देवास व्दारा प्रकरण क्रं0 2/अ–70/2016–17 मे पारित प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 27–10–2017 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./देवास/भू.रा./2017/4641

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील व जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन की सूचना नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदक की आपत्ति खारिज की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	